29.07.22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय समय तक इंतजार किया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर